कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री रामजीलाल सागर, निवासी–आदर्श नगर, कुटी बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान–303313

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा/उपखंड अधिकारी बांदीकुई

अपील संख्या 36/2025

निर्णय

दिनांक 30.05.2025

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर, दौसा को पत्र क्रमांकः डीएम/कोर्ट/2025/1265 दिनांक 15.5.2025 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने पत्र क्रमांकः आरटीआई/2025/369 दिनांक 23.5.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से संबंधित होने से धारा 6(3) में उपखंड अधिकारी बांदीकुई को स्थानान्तरित की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई ने पत्र क्रमांकःआरटीआई/2025/398 दिनांक 26.5.2025 के द्वारा वस्तुस्थिति की सूचना अपीलांट को भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रादि की प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:30 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर दौसा